विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली–110002
ज्ञान–विज्ञान विमुक्तये
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
Bahadur shah Zafar Marg
New Delhi-110002

सार्वजनिक सूचना

भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहभागिता

मि. सं. 1–1/2011 (सीपीपी–II) अक्तूबर, 2013

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2012 (भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहभागिता के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) दिनाँकः 21 सितम्बर, 2013 को मुद्रित भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये हैं। इन विनियमों का विवरण यूजीसी वेबसाइटः www.ugc.ac.in पर दर्शाया गया है। संक्षेप में इनमें निम्न सम्मिलित हैः–

1 इन विनियमों के अनुसार, भारतीय शैक्षिक संस्थानों के साथ सहभागिता एवं जुड़वाँ रूप से व्यवस्था हेतु केवल ऐसे विदेशी संस्थनों को ही अनुमति होगी जिन्हें उनके अपने स्वदेश में सर्वोच्च ग्रेड से प्रत्यायित किया गया है। विदेशी संस्थानों की सहभागिता की अनुमति केवल उन भारतीय संस्थानों के साथ ही होगी जिन्हें संस्थागत प्रत्यायन की दृष्टि से न्यूनतम 'बी' अथवा इसके समतुल्य ग्रेड द्वारा प्रत्यायित किया गया है अथवा जो पाठ्यक्रमों के विषय में यथास्थिति प्रत्यायन के आधारगत स्तर पर हैं।

2 ऐसा कोई भी भारतीय अथवा विदेशी शैक्षिक संस्थान जिसकी सहभागी व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है, वह संस्थान, इन विनियमों के, लागू किये जाने की छः माह की अवधि के भीतर, उनका अनुपालन करेगा।

3 इन विनियमों की अधिसूचना के अनुसार किसी भी विदेशी अथवा भारतीय शैक्षिक संस्थान, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निश्चित अनुमति के बिना, डिग्रियाँ एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सहभागिता के माध्यम से प्रदान करने के लिए भारत में अपनी शैक्षिक गतिविधि स्थापित अथवा संचालित करने की अनुमति नहीं होगी।

कृपया नोट करे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपरोक्त विनियमों के अन्तर्गत अभी तक किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागिता का कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया है।

अखिलेश गुप्ता

(अखिलेश गुप्ता)
सचिव